

प्रवेश और फीस नियमन समिति उ०प्र० शासन

सूचना

समस्त ऐसी निजी क्षेत्र में स्थापित अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थानों को सूचित किया जाता है कि जिन संस्थानों ने अभी तक संस्थान में चल रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क का निर्धारण नहीं कराया है, को दिनांक 21.12.2010 की आहूत बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में निर्देशित किया जाता है कि वे सत्र 2011-12 के लिए शुल्क निर्धारण हेतु प्रस्ताव के साथ-साथ ही शुल्क निर्धारण में आवश्यक निम्न प्रपत्र/लेखा विवरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिससे शुल्क निर्धारण में छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर की गई वेतन वृद्धि को भी संज्ञान में लिया जा सकें।

1. छठे वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर संस्था द्वारा समस्त स्टाफ को दिये जा रहे वेतन से सम्बंधित आदेश/प्रमाण पत्र।
2. संस्था द्वारा समस्त स्टाफ में वेतन वितरण से सम्बंधित बैंक को प्रेषित इन्वाइस/प्रपत्र।
3. इस आशय का प्रमाण-पत्र कि संस्था में कार्यरत स्टाफ को छठे वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर दिया जा रहा है।

Jin Singh
(डा० वी०एस० सिंह)
सचिव
27.12.10